मिसिल
28.7.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

धर्मपाल आदि बनाम इन्द्राज आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 405 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.07.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।	
28.7.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र विशेष पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी वादी ने जरिये वकील श्रवण कुमार उपस्थित आकर बकवाल दिया-पेश किया। जिसे क्राउ तसदीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते एस जकाम आईन्दा तारीख 28.7.2025 को पेश हो।	(R.T.) इन्द्राज (R.T.) सावित्री (R.T.) पूजा
28.7.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। एस जकाम प्राप्त हुआ। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रार्थी की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय के लिखाया जाकर [illegible] किया जावे। पत्रावली नकल से [illegible] जाकर क्राउ तसदीक तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	(R.T.) रेखा (R.T.) [illegible] फूलवन्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.31 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर